

**'उत्तराखण्ड समिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा—2021' के सापेक्ष अभिलेख प्रेषण हेतु**  
**चैक लिस्ट (Check List)**

अनुक्रमांक : .....

क्र०सं०	विज्ञापन की शर्तानुसार वाचित अभिलेख / प्रमाण पत्र	संलग्नक है अथवा नहीं (यदि है तो बाक्स में टिक ✓ करें)
1.	समेकित ऑनलाइन आवेदन पत्र (जिसमें ऑनलाइन वरीयता के साथ ही आवेदन पत्र भी समाहित होगा) की प्रति।	
2.	विस्तृत आवेदन पत्र (प्रपत्र संख्या—02) अभ्यर्थी द्वारा स्वयं पूर्ण रूप से भरा हुआ।	
3.	प्रमाणीकरण प्रपत्र (प्रपत्र संख्या—03) अभ्यर्थी द्वारा स्वयं पूर्ण रूप से भरा हुआ।	
4.	देशना पत्रक (प्रपत्र संख्या—04) अभ्यर्थी द्वारा स्वयं पूर्ण रूप से भरा हुआ।	
5.	हाईस्कूल अंक पत्र/प्रमाण—पत्र की प्रति, जिससे जन्मतिथि की पुष्टि की जा सके।	
6.	स्नातक उपाधि की प्रति।	
7.	स्नातक अंतिम वर्ष/अंतिम सेमस्टर की अंक तालिका।	
8.	अधिमानी अर्हता (यदि ऑनलाइन आवेदन में दावित है)— (क) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष सेवा पूर्ण की हो। (ख) नेशनल कैडेट कोर का "बी" प्रमाण—पत्र।	
9.	SC/ST/OBC/EWS आरक्षण संबंधी सक्षम स्तर से जारी प्रमाण—पत्र (यदि लागू हो)।	
10.	(क) पूर्व सैनिकों हेतु डिस्चार्ज प्रमाण—पत्र। (ख) इस आशय का शपथ पत्र (Affidavit) मूल रूप में कि पूर्व में पूर्व—सैनिक के आरक्षण का लाभ प्राप्त कर किसी सरकारी सेवा में सेवायोजित नहीं हुये हैं। (यदि लागू हो)। अथवा (ग) डिस्चार्ज प्रमाण—पत्र के साथ शासनादेश संख्या : 277 दिनांक 13. 09.2021 के अनुसार पूर्व नियोक्ता को प्रेषित स्वघोषणा की छायाप्रति। (यदि लागू हो)।	
11.	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों हेतु प्रमाण—पत्र (यदि लागू हो)।	
12.	अनाथ बच्चों हेतु प्रमाण—पत्र (यदि लागू हो)	
13.	दिव्यांगों हेतु विकलांगता प्रमाण—पत्र, जिसमें OL/OA/PB/PD आदि उपश्रेणियों का स्पष्ट उल्लेख हो। (यदि लागू हो)	
14.	स्थायी निवास प्रमाण—पत्र (यदि लागू हो)	

<b>15.</b>	केन्द्र अथवा राज्य सरकार/लोक प्रतिष्ठान के अधीन कार्यरत अभ्यर्थी को सेवा नियोजक द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण—पत्र या सेवायोजक को अनापत्ति हेतु प्रेषित प्रार्थना पत्र (यदि लागू हो)।	
<b>16.</b>	अभ्यर्थी के नाम/पिता/पति (वैवाहिक होने की स्थिति में) के नाम विभिन्न प्रमाण—पत्रों में साम्य न हो तो उक्त के संबंध में स्वघोषणा। (आयोग के निर्धारित प्रारूप पर)	
<b>17.</b>	अभ्यर्थी अभिलेख सत्यापन हेतु पहचान पत्र यथा—आधार कार्ड/वोटर कार्ड/ड्राइविंग लाईसेंस आदि मूल रूप से तथा स्वप्रमाणित छायाप्रति।	
<b>18.</b>	पासपोर्ट साइज के 02 नवीनतम स्वप्रमाणित फोटोग्राफ। (प्रपत्र संख्या—02, 03, 04 के फोटो के अतिरिक्त)	

\* यह स्पष्ट किया जाता है कि मा० आयोग अंक—तालिकाओं को सम्बन्धित परीक्षा के मूल प्रमाण—पत्र अथवा डिग्री के स्थान पर मान्य नहीं समझते हैं और केवल अंक—तालिकाओं के आधार पर आपको सम्बन्धित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा। जिन परीक्षाओं के परीक्षाफल हाल में प्रकाशित हुये हों और परीक्षा संस्था (Examining Body) ने नियमित प्रमाण—पत्र (Certificate) अथवा उपाधि (Degree) नहीं दिये हों, उनके लिए औपबंधिक प्रमाण—पत्र (Provisional Certificate) मूल प्रमाण—पत्र के स्थान पर जमा करना होगा।

\*\* एस०सी०/एस०टी०/ओ०बी०सी०/ई०डब्लू०एस० आरक्षण सम्बन्धित प्रमाण—पत्र विज्ञापन के अनुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 12 अक्टूबर, 2021 तक वैध होना चाहिए। शासनादेश संख्या—310 दिनांक 26.10.2016 के अनुसार ओ०बी०सी० प्रमाण—पत्र की वैधता निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि तक ही है। अतः अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि उनका आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण—पत्र उत्तराखण्ड राज्य की सेवाओं हेतु जारी हो।

ई०डब्लू०एस० प्रमाण—पत्र वित्तीय वर्ष 2020—2021 की आय गणना के आधार पर निर्गत हुआ होना चाहिए।

नोट—अभ्यर्थी उक्तानुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र, विस्तृत आवेदन पत्र (प्रपत्र संख्या—02), प्रमाणीकरण प्रपत्र (प्रपत्र संख्या—03), देशना पत्रक (प्रपत्र संख्या—04) एवं समस्त अभिलेखों की छायाप्रति के 02 स्वप्रमाणित सेट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

(अभ्यर्थी का नाम.....हस्ताक्षर.....)